भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2626
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध

2626 श्री देरेक ओब्राईनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हमलों में हाल ही में हुई वृद्धि की जानकारी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए हमलों की घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जनजाति समुदायों की चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2018-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के तहत दर्ज किए गए शीर्ष-वार अपराध के मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', राज्य सूची के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का होता है, जो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार देश भर में, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध

अपराध को रोकने में सहयोग करती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए प्रमुख कदम अधोलिखित है:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(पीओए अधिनियम) को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय के बेहतर निवारण हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, उपधारणा के क्षेत्रों में वृद्धि और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष रूप से पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के ट्रायल हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों को विनिर्दिष्ट करना, विशेष न्यायालयों और मुख्य रूप से विशिष्ट न्यायालयों को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया। फलस्वरूप एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारम्भिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना अब आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ़ उनकी शिकायतों के निवारण हेतु और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है,जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है। इन अधिनियमों, नियमों तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का भी सहयोग लिया जा रहा है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह देता रहा है। ये परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने तथा पुलिस थानों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की सलाह भी दी है।

इसके अलावा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पीओए अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, कोर्स और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" तथा पीओए अधिनियम 1989, के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास।

(iv) अंतर-जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

(v) जागरूकता सृजन।

****

राज्य सभा अता. प्र. सं. 2626 दिनांक 18.12.2024
अनुलग्नक

वर्ष 2018-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के तहत दर्ज शीर्ष-वार अपराध के मामले

क्रम स.	अपराध शीर्षक	2018	2019	2020	2021	2022
1A	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,	6178	7135	7891	8475	9735
1A.1	हत्या	168	180	172	199	217
1A.2	हत्या का प्रयास	131	141	144	148	258
1A.3	साधारण चोट	1429	1674	2247	2358	2826
1A.4	गंभीर चोट	104	125	125	114	155
1A.5	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	857	886	885	881	1022
1A.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	18	23	24	29	64
1A.7	किडनेपिंग और अपहरण	116	141	148	134	140
1A.8	बलात्कार	1008	1083	1137	1324	1347
1A.9	बलात्कार का प्रयास	17	19	25	25	16
1A.10	दंगे	189	170	197	145	163
1A.11	लूट	6	11	16	10	21
1A.12	डकैती	14	6	2	5	8
1A.13	आगजनी	11	27	12	14	16
1A.14	आपराधिक धमकी	484	412	409	817	567
1A.15	अन्य आईपीसी अपराध	1626	2237	2348	2272	2915
1B	केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	347	432	379	324	329
1B.1	जानबूझकर अपमानित करना या अपमानित करने के इरादे से डराना	117	129	118	91	130
1B.2	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर कब्ज़ा करना/निपटान करना	18	27	33	37	41
1B.3	सार्वजनिक स्थान/मार्ग के उपयोग को रोकना, मना करना या बाधा डालना	0	1	1	1	1
1B.4	निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना/सामाजिक बहिष्कार	19	34	28	24	19
1B.5	अन्य अपराध	193	241	199	171	138
1	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कुल	6525	7567	8270	8799	10064
2	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	3	3	2	3	0
3	अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार	6528	7570	8272	8802	10064

स्त्रोत: क्राइम इन इंडिया